**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 3719**

**दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न**

**पशुपालन अवसंरचना विकास निधि**

**3719. श्रीमती भारती पारधीः**

**श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः**

**श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत निधि संवितरण की क्षेत्रवार और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में एएचआईडीएफ का कम उपयोग किया गया है और यदि हाँ, तो इसके राज्यवार क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उद्यमियों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एएचआईडीएफ के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उद्यमी और महिला उद्यमी ब्याज सहायता और ऋण गारंटी प्रावधानों सहित एएचआईडीएफ के लाभों के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हों और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हों; और

(ङ) किसानों, विशेषकर डेयरी और मांस उत्पादन क्षेत्र में लगे किसानों की आय बढ़ाने में एएचआईडीएफ का अनुमानित प्रभाव क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**

**(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)**

(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत निधि संवितरण की वर्तमान, क्षेत्रवार और राज्यवार स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) जी, हां, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) का उपयोग कम उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों में सीमित ऋण उपलब्धता, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) और पर्वतीय राज्यों में भौगोलिक और लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं, अवसंरचना संबंधी चुनौतियां, भूमि की कम उपलब्धता के कारण हो रहा है।

हालाँकि, इस योजना में ऋण की उपलब्धता 25,005 करोड़ रुपये है, जिसमें से 21,190.68 करोड़ रुपये पहले ही एएचआईडीएफ के तहत उपयोग किए जा चुके हैं, जिसे मांग के अनुसार विभिन्न राज्यों में निवेश किया गया है। यह योजना की समग्र सफलता को दर्शाता है।

(ग) एएचआईडीएफ के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. व्यापार में आसानी (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनस) और त्वरित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समर्पित एएचआईडीएफ पोर्टल (ahidf.udyamimitra.in) के माध्यम से **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।**

ii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान करने में आवेदकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु **परियोजना निगरानी एजेंसियों (PMA)** की नियुक्ति।

iii. बाधाओं को दूर करने और कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी हेतु बैंकों, राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ **नियमित समीक्षा बैठकें।**

iv. संरचित प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारियों और नोडल अधिकारियों की **क्षमता का निर्माण।**

v. विभाग परियोजनाओं पर समय पर विचार और अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर परियोजना अनुमोदन समिति (PAC)/परियोजना संस्वीकृति समिति (PSC) की बैठकें आयोजित करता है।

vi. एएचआईडीएफ का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने हेतु सभी राज्यों और बैंकों से नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।

(घ) महिला उद्यमियों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, विभाग राज्य पशुपालन विभागों, उद्योग संघों, विभिन्न बैंकों आदि के सहयोग से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से **जागरूकता अभियान** चला रहा है। संभावित लाभार्थियों को योजना के लाभों, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के बारे में शिक्षित करने के लिए **प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, वेबिनार और कार्यशालाएँ** आयोजित की जा रही हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की सहायता के लिए AHIDF पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटरों के अखिल भारतीय नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया है। विभाग देश के ग्रामीण किसानों के लिए CSC के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। पशु सखियों को भी योजना में भागीदारी के रूप में जागरूकता पैदा करने के लिए शामिल किया गया है।

(ङ) अनुमानित प्रभाव के संबंध में, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की स्थापना के बाद से, 402 परियोजनाओं को अनुमोदन मिला है, जिनकी कुल परियोजना लागत 14,413.88 करोड़ रुपये और सावधि ऋण 10,095.23 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF) के अंतर्गत 6776.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 4575.25 करोड़ रुपये के सावधि ऋण वाली 37 परियोजनाओं को भी अनुमोदित किया गया है, जिसे अब दिनांक 01.02.2024 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के तहत एएचआईडीएफ में शामिल कर लिया गया है।

ये एएचआईडीएफ अनुमोदित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 43,372 कर्मियों के लिए रोजगार सृजित करके प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती हैं, जिससे लगभग 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इन इकाइयों के माध्यम से डेयरी प्रसंस्करण में 214.73 लाख एलपीडी, मांस प्रसंस्करण में 9.70 लाख एमटीपीए, पशु आहार उत्पादन में 100.22 लाख टीपीए और पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन के तहत 10,351 एमटीए की अतिरिक्त क्षमता सृजन; पशु चिकित्सा टीकों और दवा निर्माण में 3 करोड़ इंजेक्शन योग्य खुराकों, 70 लाख शीशियों, 52.75 लाख तरल दवाओं, 1 करोड़ मलहम, 36 करोड़ दवा की गोलियां, 90 लाख बोलस और 60,000 किलोग्राम पाउडर की निर्माण क्षमता और 25 करोड़ पोल्ट्री पक्षियों, 2300 गोपशुओं, 110 सूअरों और 191 करोड़ अंडों को कवर करने वाले तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त नस्ल सुधार और वृद्धि फार्म की परिकल्पना की गई है।

एएचआईडीएफ का उद्देश्य पशुधन उत्पादों की प्रसंस्करण क्षमता और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना है जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इस योजना में उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप का प्रावधान है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। डेयरी, मांस प्रसंस्करण, पशु आहार संयंत्रों और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करके, इस योजना से बेहतर मूल्य संवर्धन और बाज़ार पहुँच में वृद्धि के माध्यम से पशुधन उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने की संभावना है।

****

अनुबंध- ।

लोकसभा प्रश्न संख्या 3719

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती भारती पारधी:

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

उत्तर की तिथि: 12.08.2025

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित निधि संवितरण की वर्तमान, क्षेत्रवार और राज्यवार, स्थिति निम्नानुसार है:

| क्र.सं | राज्य का नाम | पशु आहार संयंत्र | | पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन | | नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म | | डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन | | मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन | | पशु चिकित्सा टीके और दवाएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजनाएँ | ब्याज सबवेंशन जारी | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन |
| | | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3 | 2.60 | - | - | 2 | 0.09 | 10 | 1.89 | 3 | 1.41 | - | - |
| 2 | असम | 3 | 1.36 | - | - | 4 | 1.22 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | बिहार | 3 | 8.89 | - | - | 1 | 0.78 | 1 | 0.33 | 1 | 3.14 | - | - |
| 4 | छत्तीसगढ | 3 | 3.21 | - | - | 6 | 6.09 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | दिल्ली | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
| 6 | गुजरात | 3 | 0.83 | 1 | 1.10 | 3 | 0.69 | 10 | 15.24 | - | - | 1 | 0.94 |
| 7 | हरियाणा | 6 | 1.84 | - | - | 2 | 0.05 | 9 | 7.01 | 5 | 4.93 | - | - |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.03 | 1 | - | - | - |
| 9 | जम्मू कश्मीर | 1 | 0.11 | 1 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

| क्र.सं | राज्य का नाम | पशु आहार संयंत्र | | पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन | | नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म | | डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन | | मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन | | पशु चिकित्सा टीके और दवाएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजनाएँ | ब्याज सबवेंशन जारी | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन |
| | | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में | सं. | करोड़ रुपये में |
| 10 | झारखंड | 2 | 0.63 | - | - | 2 | 0.38 | 4 | 4.65 | - | - | - | - |
| 11 | कर्नाटक | 10 | 15.08 | - | - | 13 | 6.59 | 4 | 5.89 | 1 | 0.82 | - | - |
| 12 | केरल | 1 | 0.31 | - | - | 1 | 0.02 | 1 | 0.06 | 1 | - | - | - |
| **13** | **मध्य प्रदेश** | **4** | **7.44** | **-** | **-** | **3** | **0.67** | **12** | **22.64** | **-** | **-** | **2** | **0.93** |
| **14** | **महाराष्ट्र** | **22** | **6.50** | **-** | **-** | **15** | **3.85** | **32** | **50.29** | **1** | **2.26** | **1** | **0.51** |
| 15 | ओडिशा | 6 | 4.12 | - | - | 5 | 0.76 | 3 | 0.47 | - | - | - | - |
| 16 | पुदुचेरी | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | पंजाब | 14 | 2.15 | 1 | 1.40 | 5 | 1.51 | 3 | 6.80 | 6 | 5.77 | - | - |
| 18 | राजस्थान | 5 | 3.65 | - | - | 4 | 0.37 | 8 | 3.41 | - | - | - | - |
| 19 | तमिलनाडु | 14 | 10.23 | - | - | 10 | 5.63 | 9 | 41.47 | 2 | 1.87 | - | - |
| 20 | तेलंगाना | 8 | 3.88 | - | - | 1 | 0.39 | 8 | 32.11 | 2 | 6.98 | - | - |
| 21 | उत्तर प्रदेश | 11 | 9.44 | - | - | 5 | 2.34 | 16 | 14.72 | 1 | 0.14 | - | - |
| 22 | उत्तराखंड | 1 | 0.56 | - | - | 1 | - | 1 | 2.11 | - | - | - | - |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 14 | 2.85 | - | - | 8 | 2.31 | 8 | 6.76 | 1 | 0.56 | - | - |
| **कुल योग** | | **136** | **85.83** | **3** | **2.51** | **92** | **33.76** | **142** | **215.98** | **25** | **27.87** | **4** | **2.37** |

एएचआईडीएफ योजना के अंतर्गत कुल 402 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।